न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 08/25 दायरा दिनांक 24.06.2025

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

जगदीश पुत्र फऊआ जाति जाटव निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला–बारा राज0

प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 23.03.2026

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – एकपक्षीय सुनवाई दि0 19.03.2026

1– प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर तहसील शाहाबाद में ख0नं0 41/10 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 41/12 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 41/13 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 41/17 रकबा 6.00 बीघा किता 4 कुल रकबा 24.00 बीघा। इसी प्रकार ग्राम बडारा में आराजी ख0नं0 40/3 रकबा 8.00 बीघा, ख0नं0 40/5 रकबा 10.00 बीघा, ख0नं0 40/6 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/16 रकबा 3.00 बीघा, ख0नं0 43/19 रकबा 3.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 30.00 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की स्थित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2025 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर दिनांक 21.05.2025 को कब्जा प्राप्त कर बहैसियत स्वामी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमा चिन्ह आदि नहीं होने से आसपास के काश्तकारों से विवाद रहने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त भूमि का सीमांकन कर स्थाई सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहता है, इस बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 ख0नं0 41/10 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 41/12 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 41/13 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 41/17 रकबा 6.00 बीघा किता 4 कुल रकबा 24.00 बीघा। इसी प्रकार ग्राम बडारा में आराजी ख0नं0 40/3 रकबा 8.00 बीघा, ख0नं0 40/5 रकबा 10.00 बीघा, ख0नं0 40/6 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/16 रकबा 3.00 बीघा, ख0नं0 43/19 रकबा 3.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 30.00 बीघा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 19.03.2026 को अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

3– प्रार्थी सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बडारा तहसील शाहाबाद संवत 2072–75 अनुसार विवादित भूमि ख0नं0 40/3 रकबा 8.00 बीघा, ख0नं0 40/5 रकबा 10.00 बीघा, ख0नं0 40/6 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/16 रकबा 3.00 बीघा, ख0नं0 43/19 रकबा 3.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 30.00 बीघा प्रार्थी के खातेदारी की है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त प्रस्तुत नकल गिरदावरी से प्रमाणित है। इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर ग्राम बडारा तहसील शाहाबाद की विवादित आराजी ख0नं0 40/3 रकबा 8.00 बीघा, ख0नं0 40/5 रकबा 10.00 बीघा, ख0नं0 40/6 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/16 रकबा 3.00 बीघा, ख0नं0 43/19 रकबा 3.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 30.00 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें, तथा पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रथक से कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद